



मूल वाद में निर्णय डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प.....कोटकासिम
पीठासीन अधिकारी:- बलवन्तसिंह लिग्री, आरएएस

उनवान

थावरिया

वनाम

मदनलाल

दावा बाबत दावा इशतकरारहक मय दुरुस्ती तकासमा अन्तर्गत धारा 88,53,188 राज0काश्त0 अधिव1955

मुकदमा नम्बर :-114/06.06.2012
निर्णय दिनांक:- 01.07.2016

वादी की ओर से.....वादी वकील.....की व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.07.2016 को बलवन्तसिंह लिग्री, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- 1- थावरिया पुत्र हेतराम जाति गूजर निवासी चाचियावास को आराजी खसरा नम्बर 54/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर लगान 0.42 पैसा, 94 रकबा 0.18 हैक्टेयर लगान 2.00 रुपये किता 2 रकबा 0.25 हैक्टेयर पर तथा 2- मदनलाल पुत्र चैनाराम व रामसिंह रतीराम पि0 सरदारा समभाग, अमरसिंह पुत्र हरला बनेसिंह रामसिंह पुत्रान सुलतान समभाग, ओमप्रकाश नन्दराम पुत्रान सगरिया महादेई सरवती वेवा सगरिया चमेली ज्ञाना मुनेश बनारसी सोमा भुतेरी सुनीता सविता पुत्रीयान सगरिया समभाग, श्रीया लालचन्द्र पि0 छीतर समभाग, सूरजा पुत्र खेमला समभाग कोम गूजर साकिन चाचियावास को आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 0.5 हैक्टेयर, 54/2 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 56 रकबा 0.44 हैक्टेयर, 218 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.59 हैक्टेयर लगान 3.74 रु0 पर, 3- रतनलाल नबीरा नत्थू हि0 1/12 राहिन भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटकासिम मु0बि0क0 रामजीलाल नबीरा 1/12 हि0 राहिन पीएनवी शाखा पुर मु0बि0क0 किशनलाल मूलिया नबीरान नत्थू 1/12 हि0 दर 1/3, अमरसिंह पुत्र हरला 1/3 हि0, बनेसिंह रामसिंह पुत्रान सुलतान समभाग 1/3 हि0, कोम गूजर साकिन चाचियावास हिस्सा अमरसिंह 1/3 राहिन भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटकासिम मुर्तहन बिला कब्जा को आराजी खसरा नम्बर 82 रकबा 0.06 है0 83 रकबा 0.09 है0 84 रकबा 0.07 है0 85 रकबा 0.08 है0 91 रकबा 0.05 है0 92 रकबा 0.05 है0 93 रकबा 0.09 है0 कुल किता 7 रकबा 0.050 है0 लगान 5.81 रु0 पर वाके ग्राम चाचियावास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण 1 लगायत 37 को हुक्मईमनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के हिस्से की आराजी पर मजाहमत व मदाखलत नहीं करें। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे। निर्णय डिक्री कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर खुले में सुनाया गया। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

गई।

यह आज तारीख...01.07.2016...को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

(बलवन्तसिंह लिग्री)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,कोटकासिम
कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प ✓ 2. शयित पत्र के लिये स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प 4.रुपयों पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील	350 = 00	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प अर्जी के लिये स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़	150 = 00	जोड़	

वाणीय / प्रदन माल

कंपन को काट कासीय

01-07-16 आबपद पत्रावली को काट कासीय मे
 पत्रावली नदलीनवाल काट कासीय हे विमान
 प्रसाव प्रस होक आबपद पत्रा. ही विमान
 कुटिकापपी पर बहता हुआ गयी। कुटिकापपी
 पर पापी वकील ने नदलीनवाल की। कुटिकापपी
 विमान ही काट कासीय ही पापी का फाट डिजा
 किया जाता है। नदलीनवाल ही पत्रावली से विमान
 नदलीनवाल आ. पत्रा. किया गया को काट कासीय
 में उगाया गया पत्रा. नदलीनवाल से काट कासीय
 नदलीनवाल वाणीय माल की वाणी

88

7/16 आबपद आ. पत्रा. वाणीय/पत्रा. नदलीनवाल पत्रावली पत्रावली 152 वा. ही विमान
 किया कि: विमान व डिजा में नदलीनवाल वाणीय माल
 पत्रा. न. 218/55 के स्थान पर 218 व 218 (1725) 92
 का (कक्षा 0.06) के स्थान पर 0.05 है. विमान व डिजा
 डिजा में वाणीय विमान पत्रावली का अर्थ का
 किया गया वाणीय वकील का उगाया आ. पत्रा. पत्रावली 152 वा. ही.
 ही का किया जाता है विमान व डिजा विमान 1-2016 में
 पत्रा. न. 218/55 व पत्रा. न. 92 का (कक्षा 0.06) कुछ विमान
 नदलीनवाल वाणीय विमान वाणीय
 पत्रा. नदलीनवाल (डिजा) की वाणीय की वाणी

एच एच अधिकारी
 नदलीनवाल (वाणीय)